कार्यालय तहसीलदार मालखरौदा जिला–जांजगीर चांपा(छ.ग.)

/ / प्रतिवेदन / /

कमाक / 3734 / कानूनगों / तह / 2017 मालखरौदा दिनांक 20.12.2017

प्रति,

कार्यालय कलेक्टर

जिला जाजगीर चांपा(छ0ग0)

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत तत्र विन्दुओं की जानकारी के सबध में।

सदर्भ– आपका ज्ञापन कमाक 16125 / सू.का. अधिकार / 2017 जाजगीर दिनाक 10.102017

1 (2)	अपने सगठन की विशिष्टियां की शक्तीयो और कर्तव्य अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तिया और कर्तव्य	तहसीलदार सुश्री प्रियंका बजार अ) कार्य क्षेत्र–तहसीलादार / ब) शक्तिया– प्रशासनीक तहसीलदार जनसूचना अधिकारी एवं न्यायालयीन प्रकरण ,राजस्व निरीक्षक पटवारी, कर्मचारी, भृत्य ग्राम नौकर का आकस्मिक अवकाश स) कर्तव्य –इस अनुभाग क्षेत्र म शांती बनाये रखना जनशिकायातों का निराकरण करना। राजस्व निरीक्षकों पटवारियो एवं कर्मचारियो के कार्यो का निरीक्षरण करना। तहसील का सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ।राजस्व निरीक्षक मण्डल मालखरौदा के राजस्व प्रकरणों का पजीयन एवं निर्वतन। पुलीस थाना क्षेत्र मालखरौदा एवं फगुरम संबंध दाण्डिक प्रकरणों का विवर्तन वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त शिकायत / आवेदन पत्र का जाच उपरांत कार्यवाही एवं जाच। प्रतिवेदन प्रेषण शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।
3	अपने विनिश्चिय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	टावेदन पत्र प्राप्त होने पर संबधित शाखा के लिपिक द्वारा अवलोकन एवं निर्देश हेतु प्रस्तुत किया जाता है। राजस्व प्रकरण एव दाण्डिक प्रकरण से संबंधित आवेदन होने पर प्रकरण दर्ज कर सुनवाइ निवर्तन किया जाता है। अन्य आवेदन में जांच उपरांत आवश्यक कर्यावाही की जाती है अधिकारियों / कर्मचारियों के कार्यो का सतत निरीक्षण परिरूण किया जाता है। जाच में पाई गई कमियां त्रुटिया का सुधार करवाया जाता है, दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।
4	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्वय द्वारा स्थापित नापमान	राजस्व शासन के प्रत्योजित अधिकारी की सीमा में शासन द्वारा निर्धारित मानक नियम / निर्देश के अनुसार कार्य का सपादन किया जाता है।

5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किए गए नियम,विनियम एवं अनुदेश ।	1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 2 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व पुस्तक परिपत्र 3 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व नियमावली 4 छत्तीसगढ़ सामान्य पुस्तक परिपत्र 5 मूलभूत नियम भाग एक एवं दो 6 छत्तीसगढ़ सेवा आचरण नियम 1695 7 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण अपील) 8 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1996 9 छत्तीसगढ़ सर्विसेज मैनुअल 10 छत्तीसगढ़ वित्तिय संहिता 11 छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता 12 छत्तीसगढ़ अवकाश नियम 13 छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम 14 छत्तीसगढ़ भण्डारण कय नियम 15 छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्यनिधी नियम 16 छत्तीसगढ़ पेंशन नियम 17 छत्तीसगढ़ आवास आवंटन नियम 18 छत्तीसगढ़ वित्तीय शक्ति भाग 01 एवं 02 19 छत्तीसगढ़ भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1984 20 छत्तीसगढ़ खान एवं खनिज मैनुअल 21 छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 22 भू-अर्जन नियम 23 छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम 24 छत्तीसगढ़ वास स्थान नियंत्रण अधिनियम 25 छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 26 दण्डप्रकिया संहिता भाग 01 एवं 02 27 भारतीय दण्ड संहिता 28 हिन्दू विधि 29 व्यवहार प्रकिया संहिता 30 मुस्लिम विधि 31 भारतिय साक्ष्य अधिनियम 32 छत्तीसगढ़ मोटर व्हिकल मैनुअल 33 छत्तीसगढ़ कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 34 आयुध एवं विस्फोट अधिनियम 35 छत्तीसगढ़ लोक परिश्रम बेदखली अधिनियम 36 छत्तीसगढ़ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 37 भारतीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 38 कार्यपालिक दण्डाधिकार एवं कर्तव्य अधिकार 39 माइनर एक्ट 40 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 41 साहूकारी अधिनियम

		43 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचर निवारण अधिनियम 44 आबकारी अधिनियम
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए है अथवा उनके नियत्रण में है।	इस कार्यालय के कर्मचारियों/लिपिको द्वारा संबंधित शाखाओं की नस्तिया संधारित,पश्चात उन्ह सामान्य अभिलेखागार में दाखिल किया जाता है। राजस्व एवं दाण्डिक प्रकरण जिला अभिलेखागार में दाखिल दफ्तर किया जाता है।
7	ऐसी व्यवस्था का विवरण, जो उसकी निती निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	निति निर्धारण सामान्यत शासन द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय द्वारा निराकरण किया जाता है।
8	बोर्ड,परिषदें, समितियों और अन्य निकायों के विवरण,जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ती हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डो,परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकों के लिए खुली है,अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।	निरक
9	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	अ) कार्य क्षेत्र- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील गालखरौदा ब) शक्तिया- प्रशासनिक -तहसीलदार /जनसूचना अधिकारी,लिपिक वर्ग कर्मचारी,राजस्व निरीक्षक,पटवारी, भृत्य का आकस्मिक अवकाश। स) कर्तव्य- इस कार्यालय क्षेत्र में शाती -व्यवस्था बनाये रखना इस क्षेत्र अतर्गत नजूल/अपील सबंधी कार्य सपादन । सामान्य सुविधा का अवलोकन एवं उपलब्धता संबंधी मार्गदर्शन प्रदाय। जनशक्तियः का निराकरण करना। राजस्व निरीक्षकों पटवारियों के कार्यो का निरीक्षण करना। तहसील में प्राप्त प्रकरणो का निराकरन।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपुर्ती की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक।	निरक
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किए गए आहरणों सबधी रिर्पोट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण को आबटित बजट।	निरक
12	आबटित राशि सहित सांसडो कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग और ऐसे प्रापकताओं	निरक

12	आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग और ऐसे प्राप्तकर्त्ताओं काक विवरण	निरंक
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत,अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्तकर्त्ताओं का विवरण	निरंक
14	अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्यौरा	इस कार्यालय में कार्यालयीन कार्य संपादन हेतु कम्प्युटर प्रिंटर उपलब्ध है।
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधायों के ब्यौरे ,जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्ताकालय या वाचन-कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हो।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण कर जन साधारण/नागरिको/आवेदकों को इस कार्यालय द्वारा सूचना डाक द्वारा व्यक्तिगत उपस्थित होने पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	श्री इन्द्रजीत बर्मन अनुविभागीय अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी सुश्री प्रियंका बंजारा जनसूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (मालखरौदा)जिला जांजगीर-चांपा(छ.ग.)
17	अन्य जानकारियां	शासन द्वारा समय-समय पर जन सुविधा के दृष्टि के दिये गये नियमों के बारे में जन समुदाय को आवश्यक उपलब्ध कराई जाती है।

तहसीलदार
तहसीलदार
मालखरौदा
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)